बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य में State level technical cells एवं City level technical cells के स्थापना पर व्यय हेतु विमुक्त राशि रू0 244.10 लाख एवं राज्यांश की राशि रू0 81.36666 लाख अर्थात कुल रू0 325.46666 लाख तथा Out of Pocket Expenses (23.10%) की राशि 75.18279 लाख रू0 एवं GST(18%) की राशि रू0 72.11690 लाख अर्थात कुल रू0 472.76635 लाख (चार करोड़ बहत्तर लाख छिहत्तर हजार छह सौ पैंतीस रू0 मात्र) की राशि की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 में निकासी की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक–17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक–N-11012/35/2024-HFA-V-MoHUA/FTS-9187763 दिनांक–20.04.2026 द्वारा राज्य में SLTC (State level technical cell) एवं CLTC (City level technical cells) के स्थापना पर व्यय हेतु केन्द्रांश की राशि **244.10** लाख रू0 विमुक्त की गयी हैं। विमुक्त राशि **244.10** लाख रू0 एवं अनुपातिक राज्यांश की राशि **81.36666** लाख रू0 अर्थात कुल राशि **325.46666** लाख रू0 की निकासी की जानी है। साथ ही उक्त राशि के योग पर देय Out of Pocket Expenses (23.10%) की राशि **75.18279** लाख रू0 एवं देय **GST(18%)** की राशि रू0 **72.11690** लाख अर्थात कुल राशि रू0 **472.76635** लाख (चार करोड़ बहत्तर लाख छिहत्तर हजार छह सौ पैंतीस रू0 मात्र) की निकासी की जानी है।

तदनुसार योजनान्तर्गत राज्य में SLTC (State level technical cell) एवं CLTC (City level technical cells) के स्थापना पर व्यय हेतु केन्द्रांश की राशि **244.10** लाख रू0 एवं अनुपातिक राज्यांश की राशि (Out of Pocket Expenses एवं GST की राशि सहित) **228.66635** लाख रू0 अर्थात कुल राशि रू0 **472.76635** लाख (चार करोड़ बहत्तर लाख छिहत्तर हजार छह सौ पैंतीस रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026–27 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि रू0 **472.76635** लाख (चार करोड़ बहत्तर लाख छिहत्तर हजार छह सौ पैंतीस रू0 मात्र) नगर निकायों/कार्यान्वयन एजेंसी को SNA SPARSH के माध्यम से Virtual Allotment/Limit राशि व्यय किया जायेगा। उक्त राशि का व्यय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–N-11012/20/2024-HFA-I-MoHUA/FTS-9172118 दिनांक–17.04.2025 के आलोक में की जाएगी।

3. योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F. No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक–13.07.2023 एवं Office Memorandum F. No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक–08.07.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। वित्त विभाग, बिहार के पत्र सं0–e.gov/PFMS-05/2023-398 दिनांक–13.01.2025 के द्वारा RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि

"Just-in-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS) के तहत Drawing Account खोले जाने की सूचना दी गयी है।

प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा बुडा, पटना के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है :–

Sl. No.	Account Number	Name of Account	Short Name of Account
1	01585501201	BR321-House For All (Urban) (1989)	HFA Project

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. स्वीकृत राशि **472.76635 लाख (चार करोड़ बहत्तर लाख छिहत्तर हजार छह सौ पैंतीस रू0 मात्र)** माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0221–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0221.31.06–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–48-2217030510221 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा।

6. केन्द्रांश/राज्यांश की राशि के व्यय के लिए भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा–निदेशों/प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–469 दिनांक–14.01.2026 के आलोक में Just-In-Time पर आधारित SNA SPARSH प्रक्रिया के तहत् केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि की निकासी के मामले में डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0– 67/टि0 पर दिनांक– 12/10/26 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0– 72/टि0 पर दिनांक– 15/10/26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक– BN/136/2026-SEC-03-UDHD DEPT 913 दिनांक– 15/10/26

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रषाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2(बजट) एवं प्रशाखा–04, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/अवर सचिव, MoHUA, GoI, HFA Division/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।